

प्रेषक,

प्रभाष कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(शक्तिनगर एवं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण को छोड़कर)

(सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, हापुड़-पिलखुवा, अयोध्या, उन्नाव-शुक्लागंज, मथुरा-वृन्दावन,
बस्ती, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को छोड़कर)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2024

विषय:-नियम-301 के अन्तर्गत सरकारी विभागों में तैनात दिव्यांगजनों की पदोन्नति विषयक सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासन के ई-पत्र संख्या-I/534433/2024 दिनांक 04.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अपने प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में तैनात अकेन्द्रीयित सेवा के दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में वांछित सुस्पष्ट सूचना/आख्या आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 को उपलब्ध कराते हुए 01 प्रति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

2. इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वांछित सूचना आज ही शासन को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना समय से प्राप्त न होने की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सूच्य है कि प्रकरण विधान सभा के नियम-301 से आच्छादित है, अतएव प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,



(प्रभाष कुमार)

उप सचिव।